न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील /टीए/2234/2003/भरतपुर

1— तारासिंह
2— गोविन्द सिंह
3— वैनी माधव प्रसाद
पुत्रान सुजानसिंह, जाति गुर्जर निवासी कस्बा उच्चेन तहसील रूपवास जिला भरतपुर

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1— अर्जुन सिंह पुत्र जंगबहादुर सिंह (फौत) के कायम मुकामः—
1/1. बैवी बैवा अर्जुन सिंह
1/2. अमित पिसरान अर्जुनसिंह
1/3. अभि
नाबालिग जरिये संरक्षक वली माता मु0 बैवी बैवा अर्जुनसिंह
2— जगतार सिंह
3— उपेन्द्र सिंह
पुत्रान जंगबहादुर सिंह, जाति जाट निवासी कस्बा उच्चेन तहसील रूपवास जिला भरतपुर
4— मु0 सुदर्शन कौर बैवा जंगबहादुर सिंह नाम तर्क
5— मु0 विजय पुत्री जंगबहादुर सिंह पत्नि अजायबसिंह सिख निवासी कांमा तहसील कांमा जिला भरतपुर।

..... रेस्पो0/प्रत्यर्थीगण

6— मु0 अमृतकौर पुत्री स्व0 साजनसिंह पत्नि राजेश निवासी ग्राम मंडावर तहसील महुआ जिला दौसा।
7— श्रीमती चन्द्रकला पुत्री सुजानसिंह बैवा बृजराज निवासी ग्राम रोनीजांच तहसील नदबई जिला भरतपुर।

..... तरतीबी प्रत्यर्थीगण

अपील /टीए/2235/2003/भरतपुर

1— तारासिंह
2— गोविन्द सिंह
3— वैनी माधव प्रसाद
पुत्रान सुजानसिंह, जाति गुर्जर निवासी कस्बा उच्चेन तहसील रूपवास जिला भरतपुर

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1– मु0 सुदर्शन कौर बैवा जंगबहादुर सिंह नाम तर्क
2– जगतार सिंह
3– उपेन्द्र सिंह
पुत्रान जंगबहादुर सिंह, जाति जाट निवासी कस्बा उच्चेन तहसील रूपवास जिला भरतपुर
4– अर्जुन सिंह पुत्र जंगबहादुर सिंह (फौत) के कायम मुकामः–
1/1. बैवी बैवा अर्जुन सिंह
1/2. अमित पिसरान अर्जुनसिंह
1/3. अभि
नाबालिग जरिये संरक्षक वली माता मु0 बैवी बैवा अर्जुनसिंह
5– मु0 विजय पुत्री जंगबहादुर सिंह पत्नि अजायबसिंह सिख निवासी कांमा तहसील कांमा जिला भरतपुर।

..... प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री अविनाश चौधरी, सदस्य
श्री डॉ0श्रवण कुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थित :
श्री राजेश गौतम, अभिभाषक अपीलार्थीगण
श्री यज्ञदत्त शर्मा, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

दिनांकः 30–8–2022

निर्णय

1– ये दोनों द्वितीय अपीलें न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5–4–03 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम) की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं। दोनों ही अपीलों में विवादित भूमि, विवाद का बिन्दु और पक्षकारान समान है तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा भी दोंनो अपीलों का निस्तारण अपने एक ही निर्णय से किया है ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा हस्तगत् दोनों अपीलों का निर्णय इस एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावें।

2— अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी के पिता सुजानसिंह ने रेस्पोडेंट के पति / पिता जंगबहादुर के विरूद्ध न्यायालय उपखंड अधिकारी बयाना में एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत आराजी खसरा नंबर 837 रकबा 14 बिस्वा एवं 1136 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा स्थित ग्राम तूहिया के बाबत् पेश कर निवेदन किया कि उक्त भूमि का वह खातेदार काश्तकार है किंतु प्रतिवादी ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर आराजी का शिकमी इंद्राज करवा लिया। जबकि वादी द्वारा प्रतिवादी को कभी भी शिकमी काश्तकार नहीं बनाया गया है एवं न ही उससे कभी लगान लिया। भूमि को जोतने नहीं देने की स्थिति में वाद पेश करना पडा।

3— इसी भूमि बाबत् जंगबहादुर द्वारा अपीलांट के पिता सुजानसिंह के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 एंव 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया। दोनों वादों में पक्षकार एवं भूमि समान होने से समेकित करते हुये उपखंड अधिकारी बयाना ने अपने निर्णय दिनांक 6—10—97 द्वारा सुजानसिंह का वाद डिक्री कर दिया एवं रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत वाद निर्णय व डिक्री दिनांक 19—6—97 को उसकी अनुपस्थिति एवं साक्ष्य के अभाव में खारिज फरमा दिया।

4— परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध पृथक पृथक दो अपीलें न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर में प्रस्तुत की गई हैं। जिन्हें प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 5—4—2003 द्वारा आंशिक स्वीकार करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय दिनांक 6—10—97 व 19—6—97 निरस्त करते हुये प्रकरण कतिपय निर्देशों के साथ परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया। जिससे व्यथित होकर ये दोनों द्वितीय अपीलें राजस्व मण्डल में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5— विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि अपीलीय न्यायालय का निर्णय तथ्यों, नियमों एवं कानून के विपरीत है। अपीलीय न्यायालय ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि विवादित भूमि के खातेदार अपीलांट है एवं अपीलांट से पूर्व विवादित भूमि के खातेदार अपीलांट का पिता सुजानसिंह था। रेस्पोडेंट ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर आराजी का शिकमी इंद्राज करवा लिया। जबकि वादी द्वारा प्रतिवादी को कभी भी शिकमी काश्तकार नहीं बनाया गया है एवं ना ही उससे कभी लगान लिया। विवादित भूमि राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी संवत् 2036 से 2039 में अपीलांट के पिता वादी सुजानसिंह की खातेदारी में अंकित है। इसके अलावा प्रतिवादी / रेस्पोडेंट का पिता

जंगबहादुर ने अपीलांट के पिता सुजानसिंह के विरूद्ध दावा पेश किया जो अदम सबूत में खारिज कर दिया। जंगबहादुर ने शिकमी काश्तकार होने का कोई साक्ष्य पेश नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी से उसको सबंध सरोकार नहीं है। रेस्पोडेंट का वाद खारिज होने की स्थिति में स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट का विवादित आराजी में कोई हक अधिकार नहीं है तो प्रकरण को रिमाण्ड करने का कोई औचित्य नहीं था। अपीलीय न्यायालय को निर्णय गुण दोष पर करना चाहिये था। उनका यह भी तर्क है कि रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत अपील सं. 50/99 स्पष्ट मियाद बाहर होने के बावजूद मियाद में शुमार कर लिया। जबकि धारा 3 मियाद अधिनियम के प्रावधान मेण्डेटरी है एवं प्रत्येक दिन की देरी का स्पष्टीकरण देना आवश्यक है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलीय न्यायालय ने सरसरी तौर पर निर्णय किया है जो आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। मियाद को कण्डोन करने का कोई ठोस एवं स्पष्ट कारण अंकित नहीं किये गये थे। अपीलीय न्यायालय को मियाद के बिन्दु पर ही अपील खारिज करनी चाहिये थी। प्रथम अपील बिना साक्ष्य सबूत के पेश की गई थी। अपीलीय न्यायालय ने बिना किसी आधार के परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त कर रिमाण्ड किया है। अतः अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जावे।

5— उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने बहस में कहा कि परीक्षण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया पूर्ण किये बिना ही तथा साक्ष्य सबूत लिये बिना तथा आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार बनाये बिना विधिवत् नोटिस तामील कराये एकतरफा में डिक्री जारी कर दी। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की जानकारी प्रतिवादीगण को नहीं थी। ऐसे में जानकारी प्राप्त होने पर ही मियाद प्रार्थना पत्र के साथ प्रथम अपील पेश की गई थी तथा सद्भावी कारण होने से मियाद कण्डोन की गई थी। उनका यह भी तर्क है कि उसका दावा उसकी अनुपस्थिति में साक्ष्य के अभाव में आदेश 17 नियम 3ए सीपीसी के अंतर्गत गलत तौर पर खारिज किया था जबकि नियम 3ए के अंतर्गत दावा तभी खारिज किया जा सकता है जब पक्षकारान उपस्थित हो। पक्षकारों में से कोई पक्षकार अनुपस्थित होने की स्थिति में दावे के अंतर्गत आदेश 17 नियम 13 बी के तहत कार्यवाहीं की जाती है। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय द्वारा परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर प्रत्यर्थी की दोनों अपीलें आंशिक स्वीकार कर प्रकरण निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करने में किसी प्रकार की कोई विधिक या तथ्यात्मक भूल नहीं की गयी है, अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6— अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया और दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया ।

7— पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19—6—97 वादी की अनुपस्थिति में दोनों पक्षों की साक्ष्य पेश नहीं होने के कारण पारित किया गया है। जबकि परीक्षण न्यायालय से अपेक्षित था कि ऐसी परिस्थिति में दावें में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 17 नियम 3 (बी) के तहत कार्यवाही करते। सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 3 (बी) अनुसार यह प्रावधान है कि यदि पक्षकारों में से कोई अनुपस्थित हो तो उक्त आदेश के नियम 2 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 17 नियम 2 में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि पक्षकारों में से कोई अनुपस्थित है तो आदेश 9 सीपीसी के तहत कार्यवाहीं की जायेगी। पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत होने पर न्यायालय इस प्रकार की कार्यवाहीं कर सकता है। किंतु इस प्रकारण में पक्षकार उपस्थित था लेकिन प्रकरण में मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की गई एवं पत्रावली पर वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकोर्ड उपलब्ध था, जिसमें विवादग्रस्त भूमि पर जमाबंदी संवत् 2036—39 में जंगबहादुर सिंह की काश्त बहैसियत शिकमी साल 20 दर्ज थी तथा इसके अतिरिक्त खसरा गिरदावरी भी पेश की गई थी। लेकिन परीक्षण न्यायालय ने उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रकरण का निस्तारण नहीं कर दावा साक्ष्य के अभाव में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 17 नियम 3(ए) के तहत खारिज कर दिया। जिसे अपीलीय न्यायालय ने विधि विरूद्ध मानते हुये अर्जुनसिंह द्वारा पेश अपील सं. 24 / 97 स्वीकार करते हुये परीक्षण न्यायालय उपखंड अधिकारी बयाना का निर्णय दिनांक 19—6—97 निरस्त करते हुये प्रकरण पुनः उपखंड अधिकारी बयाना को रिमाण्ड किया है।

8— इसी प्रकार उपखंड अधिकारी बयाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6—10—97 के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील सं. 50 / 99 के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी (वर्तमान प्रत्यर्थीगण) को नोटिस दिये बिना विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी बयाना द्वारा निर्णय दिनांक 6—10—97 पारित किया गया है जिसे अपीलीय न्यायालय ने विलम्ब को क्षमा करते हुये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत मानते हुये निरस्त किया है तथा प्रकरण कतिपय निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को रिमाण्ड किया है।

9— इस मंडल द्वारा 2012 आरआरडी पेज 668, आरआरटी 2015 पेज 1211 का अनुसरण करते हुये देरी को क्षमा कर यह अभिनिर्धारित किया है कि जब किसी अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा मियाद के बिन्दू का क्षमा कर दिया है तो उच्चतर न्यायालय को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। विलम्ब के लिये माफी प्रदान करना न्यायालय के विवेकाधिकार का मामला है। पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण उभय पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये ही किया जाना चाहिये। अधीनस्थ प्रथम अपील न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय के माध्यम से अपीलें स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त कर दोनों ही वादों को निर्देशों सहित प्रतिप्रेषित किया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। ऐसे में इस खंडपीठ के विनम्र मत में विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को रिमाण्ड किये जाने में किसी प्रकार की कोई विधि या तथ्य सम्बंधी त्रुटि कारित नहीं की गई है। अतः ये दोनों द्वितीय अपीलें अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य हैं।

10— परिणामतः न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5—4—03 के विरूद्ध प्रस्तुत हस्तगत् दोनों द्वितीय अपीलें सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती हैं। पक्षकारान को हिदायत दी जाती है कि वे प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी / उपजिला कलेक्टर बयाना के समक्ष विधि अनुसार प्रकरण के निस्तारण हेतु दिनांक 21—09—2022 को उपस्थित हों।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को पालनार्थ प्रेषित की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख अविलम्ब प्रेषित किया जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(डॉ0श्रवण कुमार बुनकर)
सदस्य

(अविनाश चौधरी)
सदस्य